

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,**  
**जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक ५९५० एफ-७-४४/३१/एस-२/२०२१,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २७/११/२०२१

मुख्य अभियंता,  
हसदेव गंगा कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
अंबिकापुर (छ.ग.)

**विषय :- सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखण्ड अंतर्गत भफौली तालाब एवं नहर उन्नयन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**


**संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-३४/बो.प्र./प्रशा.स्वी./२०२१/१७९५, दिनांक १९.०२.२०२१.**

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखण्ड अंतर्गत भफौली तालाब एवं नहर उन्नयन कार्य हेतु रु.१४९.२३ लाख (रुपये एक करोड़ उनचास लाख तेइस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

२. योजना से सिंचाई में हो रही १८७.२० हेक्टेयर कमी की पूर्ति एवं १२.३५ हेक्टेयर, अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल २९३.३५ हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
३. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
४. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
५. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, ४७०२-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०१} सतही जल, ०१०२ अनुसूचित जनजाति उपयोजना (३८२८) लघु सिंचाई योजना #९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
६. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक २५.१०.२०२१ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
७. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
८. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
९. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**  
**तथा आदेशानुसार**

  
२५/११/२०२१  
(प्रेमसिंह घरेब्र)

अवर सचिव

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**

पृ.क्र. 4941 / एफ-7-44 / 31 / एस-2 / 2021,  
प्रतिलिपि :-


अटल नगर, दिनांक 27 / 11 / 2021

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

MIS



  
25/11/2021  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग